



केरल में आधिकारिक तौर पर 'ट्रान्सजेंडर' शब्द के प्रयोग की घोषणा

चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में 'अदर जेंडर' (Other Gender) या 'थर्ड जेंडर' (Third Gender) के स्थान पर केवल ट्रान्सजेंडर (Transgender) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- केरल सरकार द्वारा जारी ने एक आदेश में कहा गया है कि ट्रान्सजेंडरों को 'तीसरे लिंग' या अन्य लिंग अथवा भिन्न लिंग अभिविन्यास वाले लोगों [भिन्नलैंगिक] के रूप में संबोधित नहीं किया जाना चाहिये।
- इससे पहले सरकारी फॉर्मों और दस्तावेजों में दिये गए लैंगिक वरीयता क्रम में पुरुष, महिला और अन्य/तीसरे लिंग का जिक्र किया जाता था।
- सरकार के अनुसार, सभी आधिकारिक संचार/संवाद में ट्रान्सजेंडर शब्द का उपयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि इसके समतुल्य कोई अन्य शब्द न मिला जाए क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- उल्लेखनीय है कि ट्रान्सजेंडर शब्द का इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि 'अन्य' या 'थर्ड जेंडर' का प्रयोग ट्रान्सजेंडरों को अपमान के समान लगता है।

ट्रान्सजेंडर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

- सर्वोच्च न्यायालय के [राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण](#) (National Legal Services Authority-NALSA) ने अपने नरिणय में कहा है कि ट्रान्सजेंडर शब्द व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें हजिड़ा एवं कनिनर और मध्यलिंगी भिन्नताओं (Intersex Variations) जैसी सांस्कृतिक पहचान को भी शामिल किया गया है। अतः 'अन्य' जैसे विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है।

पृष्ठभूमि

- ट्रान्सजेंडर सेल ने केरल सरकार को उन शब्दों की एक वसितृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिनका सरकारी संचार में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिये उपयोग किया जा रहा था।
- ट्रान्सजेंडर सेल के अनुसार, सरकारी दस्तावेज जैसे-बजट रिपोर्ट या प्लान बुक सभी में दूसरे या तीसरे लिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

ट्रान्सजेंडर सेल (Transgender Cell)

- ट्रान्सजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने फरवरी 2018 में ट्रान्सजेंडर सेल की स्थापना की।
- ट्रान्सजेंडर सेल का मुख्य लक्ष्य राज्य ट्रान्सजेंडर न्याय बोर्ड (State Transgender Justice Board) और ज़िला ट्रान्सजेंडर न्याय समितियों (District Transgender Justice Committees) के कामकाज में सहायता प्रदान करना है।

नबिकरष

- ट्रान्सजेंडर के संदर्भ में तृतीय या भिन्न का प्रयोग आपत्तजनक है क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी दो लिंग सामान्य हैं, इसके कारण ट्रान्सजेंडर स्वयं को हाशिये पर महसूस करते हैं। ऐसे में केरल सरकार का आदेश उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। अतः आधिकारिक संचार में ट्रान्सजेंडर शब्द का उपयोग करने पर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिये। ट्रान्सजेंडर एक लैंगिक पहचान है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

स्रोत: द हट्टू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/only-transgender-in-official-communication>